

पत्रांक,

जिला विद्यालय निरीक्षक  
जौनपुर।

सेवा में

प्रबंधक/प्रधानाचार्य  
जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज  
आनापुर, जौनपुर।

पत्रांक/  
विषय:

/2021-22

दिनांक- 22-11-21

विज्ञापन संख्या-1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए नियम 12 (11) के अधीन पैनल प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2021-22 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक कला पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल नियम 12 (11) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम व पता	पद का नाम एवं विषय	आवृत्ति संख्या का नाम	श्रेणी	वर्ग
140	0910027457	DHIRAJ KUMAR SINGH PREM SINGH BARAHI KALA, BARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221207	प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा	जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज आनापुर, जौनपुर।	सामान्य जाति	01

उक्त के प्रसंग में चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13(1) के खण्ड एक, दो व तीन के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि चयन बोर्ड नियमावली की धारा 13 के उपनियम 2 तथा 3 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा संकल्प पारित कराकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने का प्रावधान है। शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक/सा०(1)शि०/4959-5052/2016-17 दिनांक 09 अगस्त 2016 एवं संशोधित आदेश सामान्य (1) शि०/9861-9935/2016-17 दिनांक 29.11.2016 के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके समस्त शैक्षिक अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराते हुए सत्यापन आख्या के साथ वेतन हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया जाय। यदि विज्ञापित पद के प्रति न्यायालय का कोई आदेश हो तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्गत किये गये नियुक्ति पत्र की प्रति चयन बोर्ड एवं अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। चयनित अभ्यर्थी को नवीनतम निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष ही कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करें तथा सत्यापन में कोई विसंगति पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाय।

भवदीय

(राजकुमार पंडित)  
जिला विद्यालय निरीक्षक  
जौनपुर।

पृ०सं०/आयोग/ 10707-12 /2021-22

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी (मा०शि०), जौनपुर।
5. DHIRAJ KUMAR SINGH, PREM SINGH, BARAHI KALA, BARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221207

जिला विद्यालय निरीक्षक  
जौनपुर।